बिहार विधान-सभा वादवृत्त

मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 1991 ई०

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में मंगलवार, तिथि 16 जुलाई, 1991 ई० को पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष, श्री गुलाम सरवर के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ ।

पटना
तिथि : 16 जुलाई, 1991 ई०

चन्द्रशेखर शर्मा
सचिव
बिहार विधान-सभा

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

मंगलवार, तिथि 16 जुलाई, 1991 ई०

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

विषय-सूची

विषय	पृ० सं०
मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा) राज्यमंत्री के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने के संबंध में चर्चा एवं तत्संबंधी वक्तव्य की माँग :	5
वित्तीय वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की माँगों (खंड-II) ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार, सड़क परिवहन और अन्य परिवहन सेवायें तथा वाहनों पर कर, पर मतदान कटौती प्रस्ताव :	23
दैनिक निबंध :	45

टिप्पणी : किन्ही मंत्रियों एवं सदस्यों ने अपना भाषण संशोधन नहीं किये हैं ।

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई, 1991 ई०

(भाग-2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण ।

सभा का अधिवेशन पटना के सभा सदन में मंगलवार, तिथि 16 जुलाई, 1991 ई० को पूर्वाह्न 11.00 बजे अध्यक्ष, श्री गुलाम सरवर के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ ।

मानव संसाधन विकास उच्च शिक्षा (राज्यमंत्री) के त्यागपत्र देने के संबंध में चर्चा एवं तत्संबंधी वक्तव्य की माँग :

(विरोधी पक्ष के कई माननीय सदस्य खड़े होकर बोल रहे हैं ।)

(सदन में जोरों का शोरगुल)

श्री लालमुनि चौबे : अध्यक्ष महोदय, तीन-तीन मंत्री अपने पद से इस्तीफा दिया है । उन्होंने नियमतः सदन में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है । मुख्यमंत्री ने सदन को गुमराह किया है । यह प्रिविलेज का मामला है....

(सदन में जोरों का शोरगुल)

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमलोग इसको बहुत सिरियसली लेते हैं । तीन-तीन मंत्री ने इस्तीफा दिया है,

लेकिन सदन को त्यागपत्र का कारण नहीं बताया गया है। यदि कोई मंत्री अपने पद से त्यागपत्र देते हैं तो उनको सदन को बताना पड़ेगा कि किस कारण से वे त्यागपत्र दिये हैं।

श्री रमेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, क्लौज 97 को देखा जाय। नियम क्लॉज 97 में साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई कैबिनेट का मेम्बर रिजाइन करेगा तो वह हाउस को बतायेगा कि किस परिस्थिति में वह अपना इस्तीफा दिया है।

श्री रामाश्रय सिंह : अध्यक्ष महोदय, यदि कोई मंत्री त्यागपत्र देता है, तो उसको त्यागपत्र देने के कारण को सदन को बताना पड़ेगा।

(सदन में जोरों का शोरगुल)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य कृपया बैठ जायं। मैं क्लाज 97 को पढ़ देता हूँ।

Statement of Member resigning Office of Minister.

क्लाजं-97. Personal statement by member resigning office of Minister.

(1) A member who has resigned the office of minister may, with the consent of the Speaker make a personal statement in explanation of his rsignation at the earliest possible opportunity.

(2) Such statement shall be made after questions and before the List of Business of the day is entered upon.

(3) On such statement no debate shall be allowed, provided that the Chief Minister shall be entitled, af-

ter the ex-Minister has made his statement to make a statement pertinent there to.

(सदन में जोरों का शोरगुल)

श्री रघुनाथ झा : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है कि हाउस सेशन में है । मुख्यमंत्री का बयान हाउस में होना चाहिये और जो इस्तीफा हुआ है, उस इस्तीफे के बारे में सदन को बताना चाहिये । घोषणा सदन में होनी चाहिये । हम समझते हैं कि वे गलतबयानी कर सदन को गुमराह कर रहे हैं ।

(इस अवसर पर सदन में शोरगुल)

अध्यक्ष : शांति-शांति, हम इसको क्वेश्चन आवर के बाद लेंगे ।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, आप रूल 97 को देखें । मंत्री पद का त्याग करने वाले सदस्य का वक्तव्य ।

(1) जिन सदस्यों ने मंत्री पद का त्याग किया हो वे अध्यक्ष की सम्मति से, यथाशीघ्र अपने पद-त्याग के स्पष्टीकरण में व्यक्तिगत वक्तव्य दे सकेंगे ।

(2) ऐसा वक्तव्य प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची के अनुसार कार्यारम्भ से पहले दिया जायेगा ।

(सदन में शोरगुल)

अध्यक्ष : शांति-शांति । क्वेश्चन आवर के बाद लिया जायेगा ।

श्री विनायक प्र० यादव : अध्यक्ष महोदय, आपने और माननीय सदस्य ने भी रूल 97 पढ़ा है, उसमें लिखा है—

Personal statement by member resigning office of Minister :-

(1) A member who has resigned the office of Minister may, with the consent of the Speaker, make a person statement in explanation of his resignation at the earliest possible opportunity.

अध्यक्ष महोदय, कल मुख्यमंत्री ने यहाँ बयान दिया, उस समय माननीय मंत्री यहाँ मौजूद थे, उसके बाद उन्होंने रेजिग्नेशन दिया । आज जब हाउस बैठी है 14-15 घंटा के बाद, उस रूल में लिखा है "अरलियस्ट पौसिबल औपरचुनिटी" तब तो माननीय मंत्री को हाऊस में बताना पड़ेगा कि किस परिस्थिति में इन्होंने रिजाईन किया ।

(सदन में शोरगुल)

(इस अवसर पर सदन के बेल में आकर कांग्रेस आई० के माननीय सदस्य नारा लगा रहे थे)

श्री उपेन्द्र प्र० वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आप नियम 97 के खंड (3) को देखें । यह तो उन मंत्रियों को लागू होता है, जिनका इस्तीफा राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया हो ।

(सदन में शोरगुल)

श्री विनायक प्र० यादव : अध्यक्ष महोदय, आप विधानसभा के प्रोटेक्टर हैं, आप विधानसभा के कस्टोडियन हैं । विधानसभा में उस दिन बात हुई थी कि विधान परिषद् ने अपने यहाँ मोशन लाकर विधानसभा पर कुठाराघात किया है । हमलोगों ने आपके सामने निवेदन किया था परिषद् में जो प्रिभिलेज श्री शाही जी पर लाया गया था उसके खिलाफ । हमने यह

भी कहा था कि प्रिभिलेज मोशन इसी सदन में लाया जा सकता है जो आपके यहाँ विचाराधीन है और अब तो वह विचाराधीन का सवाल ही नहीं है । 1954 ईसवी में....

(सदन में शोरगुल)

अध्यक्ष : शांति-शांति । यदि आप लोगों की राय होगी तो क्वेश्चन आवर के बाद लिया जायेगा ।

श्री उपेन्द्र प्र॰ वर्मा : अध्यक्ष महोदय को आप मजबूर नहीं कर सकते हैं । आप रूल 97 का खंड (3) पढ़िये ।

श्री राजो सिंह : खंड-3 पढ़ने की जरूरत नहीं है । मंत्री को सदन में बयान देना होगा ।

श्री महेन्द्र झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, मंत्री को किडनेप कर लिया गया है....

(सदन में शोरगुल)

अध्यक्ष : शांति-शांति । हम सदन के तमाम लोगों से इस पर राय लेंगे और नियम भी पढ़कर सुना देते हैं, सुन लीजिये ।

श्री रघुनाथ झा : यह सदन में वाद-विवाद का सवाल नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में बयान दिया है, उसके बाद राज्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, तब तो उन्हें यहाँ आकर बयान देना ही होगा ।

(सदन में शोरगुल)

अध्यक्ष : शांति-शांति । कॉल एंड शकधर की संसदीय कार्य प्रणाली की किताब में लिखी हुई है, जिसको मैं पढ़ देना चाहता हूँ ।

(इस अवसर पर सदन में शोरगुल)

श्री राजो सिंह : वह तो आप दूसरी बात के संबंध में पढ़ना चाहते हैं ।

(इस अवसर पर सदन में शोरगुल)

(इस अवसर पर कांग्रेस-आई, सी०पी०आई०, बी०जे०पी० के कई माननीय सदस्य सदन के वेल में आ गये, शोरगुल)

अध्यक्ष : शांति-शांति ।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, उनको बुलाया जाय ।

श्री बृजमोहन सिंह : हैं कहाँ श्री नवल किशोर शाही?

श्री रामनरेश सिंह : कौन मंत्री बनेगा, कौन मंत्री रिजाईन करेगा, इनलोगों से पूछकर होगा?

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, उनको यहाँ बयान देना होगा । उन्होंने बाहर में बयान दे दिया । सदन जब चल रहा है तो बाहर बयान कैसे दे दिए ? उनको यहाँ आकर बयान देना चाहिए । उनको यहाँ बुलाया जाय ।

(सदन में शोरगुल अनवरत होता रहा)

अध्यक्ष : शांति-शांति । कृपया आपलोग अपनी-अपनी जगह पर जाकर बैठ जायें ।

(इस अवसर पर कांग्रेस-आई के माननीय सदस्य नारा लगाने लगे)

अध्यक्ष : अब सभा की कार्रवाई 10 मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है ।

(स्थगन के बाद)

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

(सदन में आवाज-क्या हुआ?)

अध्यक्ष : शांति-शांति, बैठिए ।

श्री उपेन्द्र प्र० वर्मा : अध्यक्ष महोदय, आपके निर्देश के आलोक में, मैं श्री नवल किशोर शाही जी से मिलूंगा और वे कोई बयान देना चाहेंगे तो मैं इस संबंध में आपको सूचित कर दूंगा ।

(शोरगुल)

श्री महेन्द्र प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ इन्फोरमेशन है । मेरा प्वायंट ऑफ इन्फोरमेशन यह है कि पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इस दोहरे वेतन उठाने के संबंध में यह स्पष्ट निर्देश दिया है कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है । इसलिए इसपर किसी भी सदन में बहस नहीं किया जा सकता है । सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है और उस निर्णय के आलोक में पूरा बहस असंवैधानिक होगा ।

(शोरगुल)

अध्यक्ष : सरकार ने कहा, अभी संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि वे नवल किशोर शाही से सम्पर्क कायम करके उनको हाउस में लायेंगे ।

(शोरगुल)

श्री रमेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने यह कहा कि वे श्री नवल किशोर शाही से सम्पर्क स्थापित

करेंगे, अगर वे कोई अपना वक्तव्य देना चाहेंगे तो वे इसके बारे में सूचित करेंगे । उनको लाने का कोई अधिकार नहीं है, किसी मेम्बर को जबर्दस्ती हाऊस में लाया नहीं जा सकता है ।

(सदन में शोरगुल)

अध्यक्ष : शांति-शांति, बैठिए । वे बीमार हैं कि नहीं, वे स्वस्थ है या अस्वस्थ यह नहीं कहा जा सकता है । माननीय मंत्री ने कहा कि वे उनसे सम्पर्क कायम करेंगे ।

(शोरगुल)

माननीय सदस्य चौबे जी, अध्यक्ष इस हाउस में किसी मेम्बर को उठवाकर बाहर करवा सकता है लेकन बाहर के किसी मेम्बर को उठवाकर हाऊस में लाने का काम अध्यक्ष का नहीं है ।

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, इसी सदन में श्री रामदेव सिंह को अध्यक्ष महोदय के आदेश से श्री जनार्दन तिवारी एवं दूसरे सदस्यों ने स्ट्रेचर पर इसी हाऊस में लाये थे और अभी जो मुख्यमंत्री हैं और माननीय संसदीय कार्यमंत्री उपेन्द्र बाबू हैं, वे लोग इधर बैठे हुए थे ।

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, श्री रामदेव सिंह को जबर्दस्ती लाया गया था । मार्शल ने गेट पर उनको रोका था लेकिन माननीय सदस्यों ने जबर्दस्ती ले आये, अध्यक्ष के आदेश से नहीं लाया गया था ।

(सदन में शोरगुल)

श्री रामजतन सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, श्री विजय कृष्ण, जो इस्तीफा दे चुके हैं, वे मंत्री के हैसियत से बैठे हुए हैं कि सदस्य के हैसियत से ।

अध्यक्ष : वे मंत्री के हैसियत से बैठे हुए हैं । जब तक मंत्री का इस्तीफा मंजूर नहीं हो जाता तब तक वे हर माने में मंत्री हैं ।

(शोरगुल)

(सदन में शोरगुल)

श्री ज्ञानेश्वर यादव : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था के प्रश्न पर मैं खड़ा हूँ । अध्यक्ष महोदय, जब आपके पास हाईकोर्ट से संबंधित चिट्ठी दे दी गई है तो यह मैटर सबज्यूडिश है । तो इस पर विचार क्यों हो रहा है ?

अध्यक्ष : इस पर विचार नहीं हो रहा है ।

श्री ज्ञानेश्वर यादव : विचार इसी पर हो रहा है ।

श्री विजेन्द्र यादव : अध्यक्ष महोदय, अभी क्वेश्चन आवर है और इस तरह से समय नष्ट किया जा रहा है तो सारा प्रश्न खत्म हो जायेगा ।

(इस अवसर पर माननीय मंत्री, श्री नवल किशोर शाही सदन में उपस्थित हुए)

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री, श्री नवल किशोर शाही जी सदन में आ गये हैं, आप उनसे कहें कि वे अपना बयान दें ।

अध्यक्ष : यह मैं नहीं कह सकता हूँ । वे अगर कहेंगे कि हम बयान देना चाहते हैं तब हम अपना कंससेंट देंगे ।

(इस अवसर पर कांग्रेस (आई) के माननीय सदस्य, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह, श्री अवधेश कुमार सिंह, श्री कुमुद रंजन झा, डा० शकील अहमद एक साथ खड़े होकर बोलने लगे ।)

अध्यक्ष : शांति, शांति । आपलोग कृपया बैठ जाइये ।

डा० शकील अहमद : इन्होंने अपराधी कहा है....

अध्यक्ष : शांति, आप कृपया बैठ जाइये । पहले आप बैठ जाइये । अपराधी इन्होंने नहीं कहा है, आप डॉक्टर हैं, वकील नहीं हैं ।

श्री कुमुद रंजन झा : अध्यक्ष महोदय, इस तरह की बातें अखबारों में छपी है.....

अध्यक्ष : शांति, इन्होंने जो कहा है, मैंने उसे पढ़ा है । अपराधी नहीं कहा है, आर्थिक अपराधी कहा है । आर्थिक अपराधी और क्रिमिनल अपराधी में फर्क होता है, इन्होंने आर्थिक अपराधी कहा है ।

श्री कुमुद रंजन झा : अध्यक्ष महोदय, श्री शाही जी सदन में बैठे हुए हैं, आप उनसे बयान दिलवाइये ।

(इस अवसर पर सदन में शोरगुल)

श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल : वे बयान देना चाहेंगे तो अध्यक्ष महोदय की अनुमति से दे सकते हैं । आप उनको बयान देने के लिये विवश नहीं कर सकते हैं ।

(इस अवसर पर सदन में शोरगुल)

(शोरगुल)

अध्यक्ष : शांति, शांति ।

श्री नवल किशोर शाही : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जानकारी नहीं है कि मुझे किस पर बयान देना है, किस बात पर बयान देना है । हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे और उचित समय में बयान देंगे अपना ।

(शोरगुल)

अध्यक्ष : वे मंत्री संसदीय कार्य है । बैठिये । इतने दिनों से क्या कर रहे थे, हाऊस में, कुछ नहीं जानते हैं ।

(शोरगुल)

श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल : अध्यक्ष महोदय, आपने आदेश दिया था संसदीय कार्य मंत्री को, उनसे सम्पर्क करें ।

अध्यक्ष : बैठिये । संसदीय कार्यमंत्री का काम ही क्या है ।

श्री शंकर प्रसाद टेकरीवाल : आपका आदेश था सम्पर्क करने के लिए ।

अध्यक्ष : शांति, बैठिये ।

श्री नवल किशोर शाही का बयान हो गया । उन्होंने जो बात कही है उसके मुताबिक हमारी उनसे बातचीत होगी और वे जानकारी मुझसे ले लेंगे, अगर उसके बाद बयान देना चाहेंगे तो उनको कोई नहीं रोक सकता है । मैं इजाजत दूँगा बयान देने के लिए ।

(शोरगुल)

(इस अवसर पर कांग्रेस (इ) के अधिकांश माननीय सदस्य शाही जी को पूरा बयान देने के लिए एक साथ बोलना शुरू किये. ।

(शोरगुल)

श्री उपेन्द्र प्रसाद वर्मा : माननीय सदस्य जानबूझकर डाइवर्ट कर रहे हैं । अगर सदन के अवमानना का कोई मामला है तो आप लिखकर दीजिए ।

(इस अवसर पर कांग्रेस (इ) के सभी माननीय सदस्य तथा विरोधी दल के सभी सदस्य अपनी सीट पर खड़े होकर एक साथ बोलने लगे । इसके बाद कांग्रेस (इ) के सभी सदस्य सदन के बीच फ्लोर पर चलें आये और एक साथ बोलने लगे कि श्री नवल किशोर शाही से अपने त्याग पत्र के बारे में पूरा बयान दिलावें)

अध्यक्ष : शांति । आपलोग अपनी सीट पर जायं ।

(शोरगुल)

श्री अवध बिहारी चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप क्वेश्चन शुरू करायें । ये तमाम विरोधी लोग माननीय मंत्री पर हमला बोल दिये हैं आप इनकी सुरक्षा की व्यवस्था करायें ।

अध्यक्ष : शांति । नहीं पूछेंगे । आप अपने सीट पर जायं । मजाक बना लिया है हाऊस को ।

(शोरगुल)

शांति, शांति । आपलोग कृपया अपने-अपने जगह पर जाकर बैठ जायं । नहीं जवाब देंगे । उनको मजबूर नहीं कराया जा सकता है ।

(माननीय सदस्य श्री कुमुद रंजन झा अध्यक्ष महोदय के बिल्कुल नजदीक जाकर उनसे कुछ कहने लगे ।)

(शोरगुल)

अध्यक्ष : क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हम मजबूर करेंगे उनको बोलने के लिए ? आप नहीं जानते हैं कानून ।

(शोरगुल)

(माननीय सदस्य श्री रघुवंश प्रसाद सिंह भी अध्यक्ष महोदय के नजदीक जाकर कुछ कहने लगे)

अध्यक्ष : हम मजबूर करेंगे उनको बोलने के लिए ।

(शोरगुल)

(इस अवसर पर सदन में शोरगुल)

श्री कुमुद रंजन झा : मंत्रिमंडल की कलेक्टीव रेसपौंसबिलीटी होती है । उनसे बयान दिलाया जाए । आपने कलेक्टीव रेसपोंसब्लीटी का माने नहीं समझा । इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें बयान देने के लिए मजबूर किया जा सकता है । दोनों दो सवाल है । कलेक्टिव रेसपौन्सब्लिटी एक चीज है । वे अपना बयान देना चाहते हैं यह नहीं यह दूसरी चीज है । जिसके लिए उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता है ।

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : माननीय मंत्री ने कह कि अध्यक्ष महोदय से बात करके वे अपना बयान देंगे । इस तरह जबर्दस्ती बयान दिलवाने की परंपरा कायम करना वाजिब नहीं है । इस पर हम आपका नियमन चाहते हैं । आप जबर्दस्ती कंपेल नहीं कर सकते हैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देने के लिए ।

(शोरगुल)

अध्यक्ष : शोरगुल करने से हम नहीं मानेंगे ।

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : जब उन्होंने घोषणा की कि अध्यक्ष महोदय से बात करेंगे उसके बाद बयान देंगे तब जबर्दस्ती करना उचित नहीं है ।

(सदन में शोरगुल)

अध्यक्ष : यही आपलोगों का डिसीप्लीन है? जाइये, अपनी सीट पर बैठिये ।

(सदन में शोरगुल)

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : जब स्वयं उन्होंने कहा मंत्री महोदय ने स्वयं आकर सदन में कहा कि अध्यक्ष महोदय से बात करेंगे और तब बयान देंगे । फिर उसके बाद जबर्दस्ती करना मुनासिब नहीं है ।

(सदन में शोरगुल)

अध्यक्ष : कृपया आपलोग अपनी-अपनी सीट पर बैठ जाइये । मो० हिदायतुल्ला खां कुछ अपनी बात कहेंगे । कॉल एण्ड शकधर को भी आप पढ़ लीजिये ।

(सदन में शोरगुल)

मो॰ हिदायतुल्ला खां : माननीय मंत्री ने एक्सप्लानेशन दिया है और उन्होंने कहा कि चार मंत्री इनभोल्व हैं, तो इन्होंने मेन्शन किया तो हाउस की रेस्पौंसिब्लिटी है यह जानने की कि वे चार मंत्री कौन हैं ? बतलायें ।

अध्यक्ष : जब वे अपना स्टेटमेंट देंगे तब न बतलायेंगे ।

मो॰ हिदायतुल्ला खां : तब इन्होंने मेन्शन क्यों किया ? जब मेन्शन किया है तो हाउस को पूछने का हक है ।

अध्यक्ष : जब वे अपना बयान देंगे तब न बतलायेंगे ।

(सदन में शोरगुल)

श्री राजो सिंह : जो सरकार कहेगी उसी बात को आप सुनेंगे । एक्स-स्पीकर भी कहेंगे तो आप नहीं सुन सकते हैं । एक ही रास्ता है कि आप रिजोल्यूशन मूभ करें और सारे मेम्बर को निकलवा दीजिये । आप मार्शल को आर्डर दीजिये और सारे मेम्बर को हाउस से निकलवाकर हाउस को चलाइये ।

(सदन में शोरगुल)

श्री फुरकान अंसारी : आप सरकार के दवाब में आकर काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं ।

अध्यक्ष : आप घर जाइये । कितना दिन हुआ है पैदा हुए पौलिटिक्स में ? तमीज नहीं है बोलने का और चले आये हैं बोलने । जाइये, अपनी सीट पर बैठिये । हम कानून से बंधे

हुए है और कानून से एक लफ्ज भी इधर-से-उधर नहीं होंगे निकलवा देंगे, अगर जरूरत पड़ेगी तो ।

(सदन में शोरगुल)

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : जबर्दस्ती ये लोग हाउस की अवमानना कर रहे हैं । नियम-कायदे की बात करते हैं । जब स्वयं माननीय मंत्री ने कहा और सदन में घोषणा की कि हम अध्यक्ष महोदय से बात करके बयान देंगे तो इस तरह से परंपरा कायम करके सदन का अपमान कर रहे हैं ।

माननीय मंत्री जब सदन में बयान देंगे उसके बाद आप अपनी बात कहियेगा । उसके पहले आप इस तरह से उन्हें मजबूर नहीं कर सकते हैं । अभी आपलोग हाउस नहीं चलाना चाहते हैं तो यह आपकी मर्जी है ।

(सदन में शोरगुल)

श्री जयप्रकाश नारायण यादव : ये लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं ।

श्री फुरकान अंसारी : एक्स-स्पीकर भी बोल रहे हैं और आप उनकी बात नहीं मान रहे हैं । आप सरकार के दवाब में काम कर रहे हैं ।

हम आप पर प्रीविलेज कर देंगे । कितने दिनों से मेम्बर हैं और बोलने की तमीज नहीं हैं ।

श्री जयप्रकाश यादव : सदन की मर्यादा की ये लोग अवमानना कर रहे हैं ।

श्री कुमुद रंजन झा : संविधान के अनुसार इन्हें अपना बयान देना है ।

अध्यक्ष : संविधान नहीं कहता है । अभी हाउस के सामने सिर्फ एक सवाल है । जो उठाया गया । पहले आप सुन लीजिये । आज हाउस के शुरू होते ही उठाया गया । सवाल खास कर यह कि माननीय मंत्री श्री नवल किशोर शाही ने इस्तीफा दे दिया । शांति शांति । कृपया आप लोग बैठ जाइये । पहले हमारी बात सुन लीजिये ।

सदस्यगण : हम नहीं बैठेंगे ।

अध्यक्ष : आप लोग मेरी बात सुन लीजिये । हमसे उस जुमला को नहीं कहलवाइये जो मेरे गले तक जाकर अटक जा रहा है । सेंटर में भी आर्थिक अपराधी कहा गया था एक जमाने में ।

(सदन में शोरगुल)

अध्यक्ष : जो टैक्स या रेवेन्यू के मामले का भायलेशन करता है उसको आर्थिक अपराधी कहते हैं ।

श्री शकील अहमद : क्या वह चोर नहीं है ?

अध्यक्ष : आप जाइये । दवाई का पुर्जा लगाइये । चोर नहीं है । आर्थिक अपराधी चोर नहीं हुआ ।

(सदन में शोरगुल)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री बतलायेंगे उन तमाम बातों को जब वे अपना बयान देंगे । अगर कोई मंत्री किसी दूसरे मंत्री को चोर भी कह दे तो क्या वह बात सच हो गयी ? वे कहते हैं कि अपना बयान देंगे ।

सदस्यगण : उन्हें बयान देने से रोका जा रहा है। संसदीय कार्यमंत्री रोक रहे हैं।

अध्यक्ष : कोई नहीं रोकेगा। संसदीय कार्यमंत्री का काम ही यही है।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण द्वारा सभा के वेल में आकर के बोलना एवं नारा लगाना जारी था।)

श्री अवधेश कुमार सिंह : मंत्री यह कह दें कि हमने अखबार में कोई बयान नहीं दिया है।

अध्यक्ष : जो कहना होगा वे कहेंगे, अपको बतलाने से कहेंगे? वे अपने समझ से कहेंगे। (सदन में शोरगुल) "विद द कंसेंट ऑफ द स्पीकर" लफ्ज है। अपले बात तो सुनिये, मुझको भी कान हैं उन्होंने कह कि इस सवाल पर जो बात उठ रही है, इसकी जानकारी नहीं थी, हम आपसे जानकारी हासिल कर लेंगे तब हम अपना बयान देंगे।

(सदन में शोरगुल)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अभी भी सभा के वेल में आकर बोल रहे थे, नारा लगा रहे थे।)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, जो रुल्स ऑफ प्रोसिज्योर है, इसके धारा 97 और कॉल एण्ड सकधर के पेज 542 एवं पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टीस का मेरे नाम जो यह पत्र है, इन तीनों के आलोक में मैं उनको मजबूर नहीं कर सकता हूँ उनको बयान देने के लिये। इसके बाद भी अगर आप जिद पर अड़े रहेंगे तो इस वक्त हाउस को स्थगित करना पड़ेगा।

(सदन में शोरगुल)

अध्यक्ष : अगर उनको हाईकोर्ट ने बयान देने से मना कर दिया है तब ? आप कम्पेल नहीं कर सकते हैं ।

(इस अवसर पर भी विपक्ष के माननीय सदस्य वेल में आकर बोल रहे थे, नारा लगा रहे थे ।)

श्री अवधेश कुमार सिंह : अपराधी मंत्री को न बचाइये अध्यक्ष महोदय ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही दो बजे दिन तक के लिये स्थगित की जाती है ।

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

श्री कुमुद रंजन झा : अध्यक्ष महोदय, बयान देने के बारे में क्या निर्णय हुआ?

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सभा के वेल में आकर नारे लगाने लगे)

अध्यक्ष : अब वित्तीय कार्य लिए जायेंगे ।

वित्तीय कार्य :

वित्तीय वर्ष 1991-92 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की माँगों (खंड-11) ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार, सड़क परिवहन और अन्य परिवहन सेवायें तथा वाहनों पर कर पर मतदान ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, आप अपना माँग प्रस्तुत करें ।